R. 3714/I/14

9

२ प्रति.

Applicant/Petitioner

Vishvanath Sharma S/o Late Shri Ramnarayan Sharma, Manager Rani Laxmibai Public School Nazar Bag Datia M.P., Age- 75, Occupation- Businessmen R/o 962 Civil Line Jhansi U.P. Office Address - Nazar Bag Datia M.P.

श्री रवि चौधरी द्वारा आज दि 10-11-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-11-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

V/s

NonApplicant/ Respondent

Tehsildar Datia District Datia M.P.

Revision under section 50 r/w section 32 of M.P. Land Revenue Code arising out of notice dated 22.10.2014 issued by the respondent in case no.01/A-68/2014-15 and its proceeding which is arbitrarily, illegal and beyond the jurisdiction, Hence this Revision

Recd 10-11-14

MAY IT PLEASE THIS HON`BLE COURT,

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3714–एक/14 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
11.11.2014	आवेदक अधिवक्ता श्री रवि चौधरी एवं श्री विवेक मिश्रा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक के द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला दतिया म0प्र0 के पत्र दिनांक 22–10–2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है । तहसीलदार के पत्र के माध्यम से आवेदक से उनके विरूद्ध किये गये अतिक्रमण के संबंध में जबाव मॉगा है । स्पष्ट है कि अभी आवेदक को अपना जबाव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना है जो उसके द्वारा न करते हुये उसकी निगरानी इस न्यायालय में की है । आवेदक को चाहिये कि वह तहसीलदार के समक्ष अपना जबाव प्रस्तुत करें । आवेदक के द्वारा यह अवगत कराया गया कि तहसीलदार आवेदक का जबाव नहीं ले रहे है । प्रकरण में तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके पत्र दिनांक 22–10–14 के संदर्भ में आवेदक का जाबव ग्रहण करें । आवेदक इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपना जबाव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें । निगरानी अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	